

उनवान

रेवती पुत्र स्व० गोरधन वगै० जाति नाई निवासी खेडा जमालपुर
तहसील हिण्डौन जिला करौली

वादीगण 02

बनाम

भरोसीलाल पुत्र स्व० गिराज वगै० जाति नाई निवासी खेडा जमालपुर
तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

प्रतिवादीगण 03

दाबा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह दावा वादी की ओर से श्री राधारमन शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 21-10-2020 को पेश हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

10/2020 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील ने अवगत कराया की उक्त उल्लंघन अब जारी नहीं चलाना चाहते हैं। उल्लंघन बंद होने में शर्तित कराया जा रहा है।

अतः उक्त उल्लंघन क्र.सं. 1333/2020

द्वारा बनाया भरोसीलाल वगै० नोटिस में शर्तित किया जाता है। पत्रावली पेशाल हुआ रजिस्टर नम्बर भी कम है।

21-10-2020

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Not press
रवती, 10/10

निवेदन


